वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्याः- 207/XVII(1)-3/2009-09(15)/2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 26 मई, 2009

विषयः सैनिक कल्याण विभागान्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों को सेना/पुलिस में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिये जाने हेतु वचनबद्ध मदों में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 (01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक) के आय-व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के **आयोजनागत** पक्ष में **रुपये 5,67,000/- (रुपये पांच लाख सड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में प्राविधानित एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्याः 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से संबंधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा व्यय से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशियों का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमा के अंतर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित अन्य धनराशियों हेतु नियमानुसार मांग प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फीजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

6. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

7. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

8. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथ आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

9. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

10. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

11. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

14. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराएं।

15. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएँ नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

17. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः-143(P)/XVIII-3/2009, दिनांक 19 मई, 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 267 (1)/XVII(1)-3/2009-09(15)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
8. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पत्रिका।

आज्ञा से,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या- [illegible]/2009 [illegible]

दिनांक मई, 2009 का संलग्नक

अनुदान संख्या आयोजनागत [illegible]

लेखाशीर्षक : 2235-60-200-03-15

मुख्य शीर्षक : 2235-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

उप मुख्य शीर्षक : 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण [illegible]

लघु शीर्षक : 200-अन्य कार्यक्रम

उप शीर्षक : 03-सैनिक कल्याण

ब्यौरेवार शीर्षक : 15-भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों/पुत्रियों को सेना/पुलिस में भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

(धनराशि हजार रुपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
01-वेतन	250
08-कार्यालय व्यय	17
09-विद्युत देय	25
10-जलकर / जल प्रभार	25
31-सामग्री और सम्पूर्ति	250
योग	567

(रुपये पांच लाख सड़सठ हजार मात्र)

(मनीषा पंवार)
सचिव।